

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2020—पौष 4, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 नवम्बर 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री गोविंदराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-3/2017/वा.क.(आब.)/पांच.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-12-2019 के द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता (भा.पु.से. 1994) को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (गैर-पूर्णकालिक) के पद पर नियुक्त किया गया था।

2. छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-06/2019/गृह-दो/भापुसे, दिनांक 26-05-2020 के द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता (भा.पु.से. 1994) को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता) के कार्यभार से मुक्त करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है।

3. अतः राज्य शासन, एतद्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक श्री हिमांशु गुप्ता (भा.पु.से. 1994) के स्थान पर श्री विवेकानंद (भा.पु.से. 1996), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग को निदेशक (गैर-पूर्णकालिक) के पद पर नियुक्त करता है।

4. उपरोक्त नियुक्ति हेतु समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

क्रमांक/3390/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	शंकरनगर प.ह.नं. 63	0.405	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्रमांक-2, रायपुर (छ.ग.).	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की अवासीय योजना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लंकापाली प.ह.नं. 26	0.332	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.).	लंकापाली-छींच मार्ग के लालडीपा नाला पर पुल निर्माण हेतु भू- अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th October 2020

No. 115 (Mis.)/I-7-3/2021(Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2021 :—

Summer Vacation :— Monday 17th May to Friday 11st June, 2021.

Winter Holidays :— Monday 22nd December to Friday 31st December, 2021.

S. No.	Name of Holiday	No. of Days	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	New Year Day	1	01-01-2021	Friday
2.	Republic Day	1	26-01-2021	Tuesday
3.	Mahashivratri	1	11-03-2021	Thursday

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
4.	Holi Holidays	2	29-03-2021 to 30-03-2021	Monday to Tuesday
5.	Good Friday	1	02-04-2021	Friday
6.	Dr. Ambedkar Jayanti	1	14-04-2021	Wednesday
7.	Ram Navami	1	21-04-2021	Wednesday
8.	Id-UI-Fitr	1	14-05-2021	Friday
9.	Id-UI-Zuha (Bakrid)	1	21-07-2021	Wednesday
10.	Muharram	1	19-08-2021	Thursday
11.	Janamashtami	1	30-08-2021	Monday
12.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2021	Saturday
13.	Dashera Holiday	5	11- 10-2021 to 15-10-2021	Monday to Friday
14.	Milad-Un-Nabi	1	19-10-2021	Tuesday
15.	Deepawali Holidays	5	02-11-2021 to 06-11-2021	Monday to Saturday
16.	Gurunanak Jayanti	1	19-11-2021	Friday
17.	Christmas	1	25-12-2021	Saturday

NOTES :—

- All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation & Winter Holidays.
- Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.
- The remaining Saturdays which are not declared holidays and which are not included in Summer Vacation and winter holidays are declared non working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturday.
- Independence day, Mahavir Jayanti, Rakshabandhan fall on Sunday and Guru Ghasidas Jayanti falls on closed Saturday, therefore, no Holiday is declared separately.
- The High Court shall remain closed from 17-05-2021 to 11-06-2021 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.
- The High Court shall remain closed from 22-12-2021 to 31-12-2021 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during Winter holidays from 22-12-2021 to 24-12-2021 and shall remain closed from 27-12-2021 to 31-12-2021.
- Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-UI-Fitr, Id-UI-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon, if the State Government declares any change in these dates through. TV/AIR/Newspaper, the same will be followed & that day will also be observed as holiday with the approval of Hon'ble the Chief Justice.

8. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2021.
9. High Court shall observe the holiday declared suddenly by the State Government, with the approval of Hon'ble the Chief Justice.

Bilaspur, the 20th October 2020

No. 117 (Mis)/I-7-3/2021(Pt.-I).—In holidays of Calendar of High Court for the year 2021 at column No. 05 of Sl. No. 15 the words “Monday to Saturday” be read as “Tuesday to Saturday”, Similarly in notification No. 115 (Mis)/I-7-3/2021 (Pt.-I) dated 19-10-2020, column No. 05 of Sl. No. 15 of holidays, the words “Monday to Saturday” be read as “Tuesday to Saturday”.

By order of Hon'ble the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.
